

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
बांका।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बांका।

पटना, दिनांक-4.19.17

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के गुप सं०-01 के कार्य नगर पंचायत, बांका में आश्रय स्थल निर्माण कार्य के निविदा के सम्बन्ध में।
प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका का पत्रांक-87 दिनांक-04.08.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1086 दिनांक-29.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र से ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के गुप सं०-01 के कार्य नगर पंचायत, बांका में आश्रय स्थल निर्माण कार्य हेतु मान्य दोनों निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 0.01% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक-31.08.2017 को मान्य दोनों निविदाकारों की उपस्थिति में उनके बीच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में कुमार सेनापति का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित कुमार सेनापति को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 41,23,900/- (इकतालीस लाख तैईस हजार नौ सौ) रुपये मात्र से 0.01% कम दर पर जिसकी कुल राशि 41,23,487/- (इकतालीस लाख तैईस हजार चार सौ सत्तासी) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बांका सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे, क्योंकि परिमाण विपत्र का अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका के स्तर से हुआ है एवं इसकी पुरी जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका की होगी। निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 12 (बारह) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. कार्य में लगने वाले निर्माण सामग्रियों का ढुलाई दर वास्तविक दूरी के आधार पर देय होगा।
11. भवन में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Isapaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. कार्य आरम्भ करने के पहले मिट्टी की भार वहन क्षमता हेतु मिट्टी की जाँच करा लेंगे तथा मिट्टी भार वहन क्षमता के ज्ञात होने के उपरान्त नींव के निरूपण नक्शे में अंकित भार वहन क्षमता के साथ मिलान कर लेंगे, अन्तर पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
14. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
15. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
16. प्रस्तावित भवन का प्लैंथ स्थलानुसार निर्धारण करेंगे, यदि प्राक्कलन में निर्धारित प्लैंथ लेवल में फेरबदल होती है तो निश्चित रूप से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

22/09/2017

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।